सर्वजीत व दारासिंह पुत्र सर्वजीतसिंह एक ही व्यक्ति है। मुताबिक जांच रिपोर्ट व प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो एवं पटवारी हल्का की घटना बही संख्या 17 के अनुसार प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की रिपोर्ट पर मनन किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी के नाम ग्राम ललावण्डी की हाल जमाबन्दी के खाता संख्या 164, 165, 166 में प्रार्थी का नाम दरबारसिंह पुत्र सर्वजीतसिंह दर्ज रिकार्ड है तथा खाता संख्या 443 पर प्रार्थी का नाम दारासिंह पुत्र सर्वजीतसिंह दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम दारासिंह पुत्र सर्वजीत सिंह है तथा मुताबिक पटवारी हल्का ललावण्डी की घटना बही संख्या 17 के अनुसार दरबारसिंह पुत्र सर्वजीत व दारासिंह पुत्र सर्वजीतसिंह एक ही व्यक्ति है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पैरोकार सरकार रिपोर्ट अनुसार घटना बही संख्या 17 के अनुसार दरबारसिंह पुत्र सर्वजीत व दारासिंह पुत्र सर्वजीतसिंह एक ही व्यक्ति है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत दरबारसिंह पुत्र सर्वजीत के स्थान पर दारासिंह पुत्र सर्वजीतसिंह दुरूस्त किया जावे। उक्त दुरस्ती हेतु तहसीलदार रामगढ को अहमकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

2025/353

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :— सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
03 / 122	10.03.2025	10.03.2025

उनवान

01. दारा सिंह पुत्र सर्वजीत सिंह जाति जटसिक्ख निवासी ग्राम ललावंडी तहसील रामगढ
अलवर

.... प्रार्थी

बनाम

04. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम मश्वरे दुरस्ती किये जाने बाबत।

निर्णय

प्रार्थी दारा सिंह पुत्र सर्वजीत सिंह जाति जटसिक्ख निवासी ग्राम ललावंडी तहसील रामगढ जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी हाल खाता सं0 165 वाके ग्राम ललावंडी तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम दरबारसिंह पुत्र सर्वजीत सिंह गलत अंकित है। जबकि प्रार्थी का सही व दुरूस्त नाम दारा सिंह पुत्र सर्वजीत सिंह है जो प्रार्थी के अन्य राजरव रिकोर्ड की जमाबंदीयों व पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि में सही दर्ज है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के राजस्व रिकोर्ड मे से दरबारा सिंह पुत्र सर्वजीत सिंह को कलमजन करवाकर उसके स्थान पर अन्य राजस्व रिकोर्ड व प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम दरबारा सिंह पुत्र सर्वजीत सिंह के बजाये सही नाम दारा सिंह पुत्र सर्वजीत सिंह दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की ओर से न्यायालय में प्रार्थना पत्र के जवाब में रिपोर्ट प्ररतुत की गयी। जिसका विवरण इस प्रकार है प्रार्थी के नाम ग्राम ललावण्डी की हाल जमाबन्दी के खाता संख्या 164, 165, 166 में प्रार्थी का नाम दरबारसिंह पुत्र सर्वजीतसिंह दर्ज रिकार्ड है तथा खाता संख्या 443 पर प्रार्थी का नाम दारासिंह पुत्र सर्वजीतसिंह दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम दारासिंह पुत्र सर्वजीत सिंह है तथा मुताबिक पटवारी हल्का ललावण्डी की घटना बही संख्या 17 के अनुसार दरबारसिंह पुत्र

उप खण्ड़ अधिकारी
रामगढ (अलवर)